अनुदान संख्या 41 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 41 - MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1232,94,00	1382,98,00	1152,67,56	-230,30,44
पूरक	Supplementary	150,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				226,43,31

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹23030.44 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹15004.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹23030.44 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹15004.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3216.00	2663.67	2662.54	-1.13
पु.	R.	-552.33			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	109264.00			
पू.	S.	14001.00	93319.95	92934.15	-385.80
पु.	R.	-29945.05			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10814.00			
पू.	S.	1001.00	..	..	..
पु.	R.	-11815.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
पू.	S.	1.00			
			19590.07	19589.87	-0.20
पु.	R.	19589.07			

(I) ₹11815.00 लाख का प्रावधान (₹1001.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत दो मामलों में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹11815.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1001.00 lakhs) remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552" - "Food - Food Processing" - under the following heads:-

(का) "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹10814.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(A) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - ₹10814.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and

(खा) "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम का औपचारिकरण" – ₹1000.50 लाख की पूरक अनुदान।

(B) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - supplementary provision of ₹1000.50 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" – ₹553.46 लाख की बचत (₹3216.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा कम दौरे किए जाने की वजह से हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" - saving of ₹553.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3216.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and less tours undertaken owing to Covid-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the following heads:-

(का) "खाद्य प्रसंस्करण" –

(A) "Food Processing" -

(क) "राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान" – ₹520.00 लाख की बचत (₹4132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management" - saving of ₹520.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4132.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹20820.78 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹83702.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठनों/एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव न मिलने, परियोजना प्रबंधन एजेंसियों से कम दावे प्राप्त/होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹20820.78 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹83702.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to non-receipt of viable proposals from organisations/ agencies, receipt of less claims from project management agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹4992.00 लाख की बचत (₹7789.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Indian Institute of Food Processing Technology" - saving of ₹4992.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7789.00 lakhs);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना” – ₹6201.31 लाख की बचत (₹8975.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana” - saving of ₹6201.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8975.00 lakhs); and

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना” – ₹3600.46 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4650.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana” - saving of ₹3600.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4650.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संगठनों/एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव न मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of viable proposals from organisations/agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹25760.63 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

2. The above savings were partly (₹25760.63 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष “2408” – “खाद्य” –

(I) Major Head “2408” - “Food” -

(का) “खाद्य प्रसंस्करण – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण स्कीम” – ₹4869.76 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4485.08 लाख था।

(A) “Food Processing - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme” - ₹4869.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹4485.08 lakhs.

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण स्कीम” – ₹857.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹857.89 लाख था।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme” - ₹857.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹857.89 lakhs.

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम” – ₹443.90 लाख।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme” - ₹443.90 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें”–

(II) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम" – ₹15862.67 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹15862.47 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम" – ₹2455.70 लाख।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम" – ₹1270.70 लाख।

(A) "Central Assistance/Share - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - ₹15862.67 lakhs. Actual excess, however, was ₹15862.47 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - ₹2455.70 lakhs.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - ₹1270.70 lakhs.